संख्या-2129/14-2-2013-800(111)/2014

प्रेषक,

लाल जी राय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ

वन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 20 नवम्बर, 2014

विषय- एन0टी0पी0सी0 द्वारा 400 के0वी0 डबल सर्किट दादरी लोनी पारेषण लाईन के निर्माण हेतु जनपद हापुड़ से 0.5888 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 20 वृक्षों के पातन तथा गाजियाबाद में 0.552हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 50 बृक्षों के पातन कुल 1.1408 हे0संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 70 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-631/11-सी-हापुड़/गाजियाबाद, दिनांक 15-10-2014 तत्क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण् एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के सैद्वांतिक स्वीक़ृति संख्या-8बी/यू0पी0/04/52/2013/एफसी/508, दिनांक 25-6-2014 एवं विधिवत स्वीकृति संख्या-8बी/यू0पी0/04/52/2013/एफसी, दिनांक 15-7-2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0टी0पी0सी0 द्वारा 400 के0वी0 डबल सर्किट दादरी लोनी पारेषण लाईन के निर्माण हेतु जनपद हापुड़ से 0.5888 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 20 वृक्षों के पातन तथा गाजियाबाद में 0.552हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 50 बृक्षों के पातन कुल 1.1408 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 70 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के शर्त संख्या-(13) के अनुपालन की सूचना उक्त संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार को प्रेषित करते एवं शासन को पृष्ठांकित की गयी है, अतएव भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शर्तो/ प्रतिबन्धों तथा राज्य सरकार की शर्तो/प्रतिबन्धों को सम्मिलित करते हुए अनुमति प्रदान करते हैं--

(1) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
भा0स0

(2) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत
भा0स0 वन भूमि पर अर्थात 2.2816 हे0 पर क्षतिपूरक बृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा

(3) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे
भा0स0 रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे पौधों विशेष कर औषधीय पौधों का यथोचित बृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(4) अगर शुद्व वर्तमान मूल्य की दरों में बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा
भा0स0 एन0पी0वी0 की बढी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in/eo/intra

(5) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जारी हैण्ड
भा0स0 बुक के एनेक्जर-5 में दिये गये मार्ग-दर्शी नियमों का कडाई से पालन किया जायेगा।

(6) परियोजना के निर्माण् व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं
भा0स0 जीव-जन्तुओं का किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

(7) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
भा0स0

(8) प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त रिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के
भा0स0 दौरान मिट़टी/पत्थर काटने व भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

(9) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण के दौरान स्थल पर कार्यरत
भा0स0 मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

(10) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए
भा0स0 किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(11) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की
भा0स0 देख-रेख में किया जायेगा।

(12) निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले व़क्षों का पातन राज्य के निर्धारित
भा0स0 विभाग/प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा और वन पदार्थ की विधिवत बिक्री से प्राप्त राजस्व ग्राम वन समितियों/राज्य राजस्व् कोष् में जमा किया जायेगा एवं आवश्यक न्यूनतम बृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

(13) वनाधिकार अधिनियम, 2006 प्रमाण-पत्र में उल्लिखित संलग्नक में सब-डिवीजन
भा0स0 कमेटी एवं डिवीजनल कमेटी की प्रोसीडिंग संलग्न नहीं की गयी है। राज्य सरकार अधिसूचना जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि उक्त संलग्नक भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को प्रेषित कर दिये जायें।

(14) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक न्यूनतम बृक्षों का ही पातन किया जायेगा एवं
भा0स0 प्रस्तावित बृक्षों के पातन के अतिरिक्त अन्य किसी भी बृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।

(15) प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक
भा0स0 अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीक़ति का निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(16) प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वन भूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(17) मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra

वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(18) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(19) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(20) वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(21) प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक वृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग,फैलिंग लागिंग एवं ट्रान्सपोर्ट्रेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। वृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी, दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।

(22) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(23) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(24) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(25) भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त शर्त संख्या- 5 के क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या- 7-25/2012-एफसी, दिनांक 05 मई, 2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देश का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra

(26) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(लाल जी राय)
विशेष सचिव।

संख्या-2129(1)/14-2-2014-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

(1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ।
(2)- प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ ।
(3)- प्रमुख सचिव, आई0टी0इलेक्टानिक्स, उ0प्र0शासन, लखनऊ ।
(4)- जिलाधिकारी, गाजियाबाद/ हापुड ।
(5)- प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, हापुड/गाजियाबाद।
(6)- अपर महाप्रबन्धक (ई0ई0), एन0टी0पी0सी0, दादरी,गौतमबुद्धनगर।
(7)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर सिंह)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra